पत्रांक :–3/यो01–10/2018 (उ0शि0)......432/बजट.../

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से परामर्शित

प्रेषक,

जार्ज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, रॉंची।

रॉंची, दिनांक 28/03/2024/

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए राज्य विश्वविद्यालयों के अंतर्गत स्थायी संबद्धता प्राप्त गैर अनुदानित स्नातक स्तरीय महाविद्यालयों को सहायता अनुदान मद में रू0 37,26,00,000/– (सैतीस करोड़ छब्बीस लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश :– स्वीकृत।

उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने एवं उसके सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। इस हेतु स्थायी संबद्धता प्राप्त गैर अनुदानित स्नातक स्तरीय महाविद्यालयों को झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान(अनुदान) अधिनियम, 2004 (यथा संशोधित) तथा झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) (संशोधन) नियमावली, 2023 के आलोक में अनुदान प्रदान करने का निर्णय है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे महाविद्यालय स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में छात्र–छात्राओं को सुविधा हो। विधिवत् स्थापित एवं स्थायी संबद्धता प्राप्त पात्रताधारी शैक्षणिक संस्थानों को ही यह अनुदान अनुमान्य है।

3. वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष–BS- निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थानों को अनुदान, लघुशीर्ष–102–विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 84 करोड़ (चौरासी करोड़ रूपये) मात्र एवं लघुशीर्ष –796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मद में 36 करोड़ (छत्तीस करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल रू0 120 करोड़ का बजट उपबंध प्राप्त है।

4. वित्त रहित महाविद्यालयों को सहायता अनुदान मद में वित्तीय वर्ष 2023–24 में रू0 37,26,00,000/– (सैतीस करोड़ छब्बीस लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. कंडिका–4 में स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2023–24 के राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष–

–"मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–102 –विश्वविद्यालयों को सहायता /796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष– BS- निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थानों को अनुदान, 01– निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थाना हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान, 46–सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) (स्कीम कोड–2107) के अंतर्गत होगा।

6. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–1269 दिनांक 21.09.2023 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

7. वित विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी–

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	उपयोगिता की राशि
531/बजट 28.03.2022	28,00,16,000/–	15,37,94,000/–

9. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं संबंधित कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

10. संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम– 339–344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से राशि की निकासी कर अनुदान समिति द्वारा अनुशंसित महाविद्यालयों को यथा निर्धारित राशि बैंक ड्राफ्ट/RTGS द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

11. वित्त रहित महाविद्यालयों को अनुदान की राशि की स्वीकृति झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 (यथा संशोधित) तथा झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) (संशोधन) नियमावली, 2023 में अंकित शर्त्तों के अधीन की जाएगी।

12. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

13. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

14. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

15. प्रस्ताव पर विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

16. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

17. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र पर निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

18. वित्त विभाग का पत्रांक 660/वि0 एवं 661/वि0 दिनांक 06.03.2024 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023–24 के मार्च माह में निकासी के लिए 15 प्रतिशत की अधिसीमा को क्षान्त किया जाता है।

विश्वासभाजन,

28/3/24

(जार्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–3/यो01–10/2018 (उ0शि0) 432 बजट /राँची, दिनांक– 28/03/2024

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची/जिला कोषागार, हजारीबाग/जिला कोषागार, दुमका/जिला कोषागार, पलामू/जिला कोषागार, धनबाद एवं जिला कोषागार, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/3/24

(जार्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–3/यो01–10/2018 (उ0शि0) 432 बजट /राँची, दिनांक– 28/03/2024

प्रतिलिपि –विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची/विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग/ सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका/ नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू/कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा एवं बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/3/24

(जार्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।